

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

यह एडिटरियल 28/09/2022 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "Permanent membership of the UNSC is another story" लेख पर आधारित है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित मुद्दों और इसमें सुधारों की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

वैश्वविधिकरण (Decolonisation) की प्रक्रिया—जिसमें संयुक्त राष्ट्र और उसकी सुरक्षा परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने विश्व के भू-राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया। पछिल्ली चौथाई सदी में वैश्विक व्यवस्था में अमेरिकी एकधुरीयता से लेकर बहुपक्षीय संस्थानों और बहुधुरीयता के उदय तक बड़े पैमाने पर बदलाव देखे गए हैं।

- भारत सहित विभिन्न विकासशील देश अब अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिदोनों में ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ये परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परिलक्षित नहीं होते हैं, जहाँ अभी भी वीटो शक्ति रखने वाले सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं।
- [संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र](#) को संबोधित करते हुए भारतीय वदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना में व्याप्त कालदोष और अपरभावता को रेखांकित किया।
- इस प्रकार, P5 देशों के विशेषाधिकारों से परे जाना और एक अधिक लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधिक सुरक्षा परिषद की तलाश करना आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC) की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है।
- UNSC में 15 सदस्य होते हैं: 5 स्थायी सदस्य (P5) और 10 अस्थायी सदस्य जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिये चुने जाते हैं।
- इसके 5 स्थायी सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम।
- भारत पूर्व में वर्ष 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 के दौरान परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है और वर्ष 2021 में 8वीं बार पुनः अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।

UNSC सदस्यता में संशोधन की प्रक्रिया क्या है?

- UNSC की सदस्यता में कोई परिवर्तन लाने के लिये यूएन चार्टर में संशोधन लाने की आवश्यकता है।
- इसमें P5 की बहुमत सहमति के साथ ही संयुक्त राष्ट्र की कुल सदस्यता के दो-तहाई की सहमति होना शामिल है।
- P5 देशों में से प्रत्येक को वीटो शक्ति प्राप्त है।
- 1960 के दशक में एक बार अतिरिक्त अस्थायी सीटों के साथ परिषद का विस्तार करने के लिये चार्टर में संशोधन किया गया था।

UNSC से संबंधित मुद्दे

- **पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव:** कई वक्ताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कम प्रभावी है क्योंकि यह कम प्रतिनिधिक है। 54 देशों के महाद्वीप अफ्रीका की अनुपस्थिति इसमें सर्वाधिक प्रासंगिक है।
 - वर्तमान वैश्विक मुद्दे जटिल और परस्पर संबद्ध हैं। भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधित्व की कमी वैश्विक राय के एक बड़े भाग को विश्व के सर्वोच्च सुरक्षा शिखर सम्मेलन में अभिव्यक्ति से वंचित कर रही है।
 - इसके अलावा, यह चिंता का विषय है कि भारत, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण देशों को UNSC स्थायी सदस्यों की सूची में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।
- **वीटो पावर का दुरुपयोग:** कई विशेषज्ञों के साथ-साथ अधिकांश देशों द्वारा वीटो शक्त की सदैव आलोचना की गई है जो इसे 'विशेषाधिकार प्राप्त

देशों के स्व-चयनति क्लब' और गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। P5 देशों में से किसी की भी असंतुष्टि की स्थिति में परिषद आवश्यक नरिणय ले सकने की अक्षमता रखता है।

○ यह वर्तमान वैश्विक सुरक्षा वातावरण के लिये उपयुक्त नहीं है कियह नरिणय लेने वाली वशिषिट या अभजात संरचनाओं द्वारा नरिदेशति हो।

- **P5 के भीतर भू-राजनीतिक प्रतदिवंदवति:** स्थायी सदस्यों के बीच भू-राजनीतिक प्रतदिवंदवति ने UNSC को वैश्विक मुद्दों से नपिटने के लिये एक प्रभावी तंत्र का विकास करने से अवरुद्ध रखा है।
 - वर्तमान वशिष व्यवस्था को उदाहरण के रूप में लेते हुए देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन वशिष की परधिपर स्थिति तीन अलग धरुव हैं, जिनके चारों ओर वभिनिन भू-राजनीतिक मुद्दे घूम रहे हैं (जैसे ताइवान मुद्दा और रूस-यूक्रेन युद्ध)।
- **राज्य की संप्रभुता के लिये खतरा:** अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था और संघर्ष समाधान के प्रमुख अंग के रूप में UNSC शांति बनाए रखने और संघर्ष के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार है। इसके नरिणय (जनिहें संकल्प/ resolutions कहा जाता है) महासभा के नरिणयों के वपिरीत सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं।
 - इसका अर्थ यह है कि किसी भी राज्य की संप्रभुता को, यद आवश्यक हो तो कार्रवाई के माध्यम से (जैसे प्रतबिंध आरोपति कर) अतकिरमति कयिा जा सकता है।

आगे की राह

- **वशिष भर की अभवियक्तियों का प्रतनिधित्व सुनशिचति करना:** यह अत्यंत अनुचति है कि एक संपूर्ण महाद्वीप (अफ्रीका) और क्षेत्रों को उनके भवषिय पर वचिर-वमिर्श करने वाले मंच में ही अभवियक्ता एवं प्रतनिधित्व से वंचति रखा जाए।
 - देशों पर सुरक्षा परिषद की शासी शक्ति और प्राधिकार को वकिंदरीकृत करने के लिये यह आवश्यक है कि परिषद में सभी क्षेत्रों को एकसमान रूप से प्रतनिधित्व प्राप्त हो।
 - इस परविरतन के साथ सभी क्षेत्रों के राष्ट्रों को अपने देशों में शांति और लोकतंत्र को प्रभावति करने वाली चतिओं को उठाने का अवसर मलि सकेगा।
 - इसके साथ ही, UNSC के नरिणय-नरिमाण में वकिंदरीकरण के आरंभ से यह अधिक प्रतनिधिकि, सहभागी और लोकतांत्रिक बन सकेगा।
- **वैश्विक शासन के लिये वैश्विक सहमतति:** UNSC को यह समझना होगा कि उसे महज P5 राष्ट्रों के वशिषाधिकारों को संरक्षति करने के बजाय वैश्विक स्तर पर वदियमान संकटकारी मुद्दों पर केंद्रति होने की आवश्यकता है।
 - P5 और शेष वशिष के बीच शक्ति असंतुलन में तत्काल सुधार लाने की आवश्यकता है।
 - UNSC का अपने शासन में अधिक लोकतांत्रिकि और अधिक वैध होना आवश्यक है जहाँ वह अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और व्यवस्था के सार्वभौमिक अनुपालन को सुनशिचति करे।
- **'री-एनर्जाइजि इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन' (IGN):** ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलों पर गंभीर वारता को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहयि। उन्हें प्रकरयित्मक रणनीति से अवरुद्ध नहीं कयिा जाना चाहयि।
 - IGN प्रकरयि (जो वह प्रमुख ढाँचा है जिसके माध्यम से UNSC सुधार पर चर्चा और बहस की जाती है) को संशोधति और पुनः सकरयि करने की आवश्यकता है।
 - 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा IGN प्रकरयि को धीरे-धीरे टेक्स्ट-बेस्ड आधारति वारता (text based negotiations) की ओर ले जाने की अनुशंसा एक स्वागतयोग्य कदम है।
- **बेहतर बहुपक्षवाद की ओर:** सुरक्षा परिषद के सुधारों के साथ ही बेहतर बहुपक्षवाद के आह्वान को इसके मूल में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच पर्याप्त समरथन प्राप्त है।
 - संयुक्त राष्ट्र के सदिधांतों में, इसके चार्टर में और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी के रूप में सुधार कयि गए बहुपक्षवाद पर भरोसे की रक्षा करने के लिये UNSC में मुख्य मुद्दों की गंभीर जाँच की जानी चाहयि और इसे वैश्विक सहयोग से संबोधति कयिा जाना चाहयि।
- **UNSC सुधारों के लेंस से भारत:** UNSC में स्थायी सदस्यता के लिये भारत की उम्मीदवारी वैध और उचति है क्योंकि वह स्थायी सदस्यता के सभी उद्देश्य मानदंडों को पूरा करता है।
 - भारत ने जीवाश्म ईंधन के दोहन को कम करने और सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहति करने के लिये वर्ष 2015 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की है और वह 'वैक्सीन डपिलोमेसी' में भी अग्रणी रहा है।
 - संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़े वयक्तगित योगदानकर्ताओं में से एक होने के साथ भारत उचचतम सुरक्षा सहयोग मंच पर अधिक से अधिक उत्तरदायित्वों के वहन के लिये तैयार है।
 - इसके साथ ही, भारत यह सुनशिचति करने की इच्छा भी रखता है कि 'ग्लोबल साउथ' के साथ हो रहे अन्याय को नरिणायक रूप से संबोधति कयिा जाए। भारत इन दोनों मोर्चों पर योगदान देने के लिये तैयार और सक्षम है।

अभ्यास प्रश्न: समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को संबोधति करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। टपिणी कीजयि।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????????????

Q. UN की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्यों का चुनाव की अवधि के लिये महासभा द्वारा कयिा जाता है- (वर्ष

2009)

- (A) 1 वर्ष
- (B) 2 साल
- (C) 3 साल
- (D) 5 साल

उत्तर: (B)

????? ????????

Q. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। (वर्ष 2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/time-to-reform-unsc>

